

प्रेषक,

बटेश्वर कुमार,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट्,
कक्ष संख्या—17, सुलतानपुर।

सेवा में,

श्रीमान् महा निवन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।

विषय:-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश फिरोजाबाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020–2021 मे अंकित प्रतिकूल टिप्पणी को निरस्त /
संशोधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1— उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध मे ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी दिनांक—20.04.2015 से 23.04.2018 तक जनपद मिर्जापुर तथा दिनांक—26.04.2018 से 12.04.2021 तक जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न न्यायालयों मे कार्यरत रहा है एवं दिनांक—14.04.2021 से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट्, सुलतानपुर के पद पर पर कार्यरत है।

2— अधोहस्ताक्षरी की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 उत्तम/अति उत्तम रही है।

3— श्रीमान् जनपद न्यायाधीश फिरोजाबाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दी गयी गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि 2010–2021 के स्तम्भ 01(ए) मे अधोहस्ताक्षरी की बार से भ्रष्टाचार की कतिपय मौखिक शिकायते मिलने, स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र वाह्य प्रतिफल के आधार पर संस्थित होने तथा अर्ध सरकारी पत्र देने के पश्चात भी कोई सुधार नही होने के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित की है, जबकि वास्तव मे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध किसी अधिवक्ता अथवा वादकारी की सशपथ लिखित शिकायत अथवा किसी जाँच के बिना अधोहस्ताक्षरी की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि 2020–2021 मे सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे सादर निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा मेरे समक्ष बार द्वारा भ्रष्टाचार की गयी मौखिक शिकायत के सम्बन्ध मे कोई स्पष्टीकरण नही चाहा गया तथा मेरे विरुद्ध कभी भी बार के सदस्यो द्वारा पत्रावली स्थानान्तरण मे कोई वाह्य प्रतिफल की मॉग के बावत भी कोई शिकायत नही की गयी है। जबकि स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र अन्य आधारो पर प्रस्तुत किया गया था जो कि

50

सत्यनिष्ठा पर प्रभाव नहीं डालती है। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा कोई सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी पत्र मुझे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तथा वाह्य प्रतिफल के बावजूद कभी प्राप्त नहीं हुआ। अतः मेरी सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं है। इसी के साथ निवेदन करना है कि मेरी पूर्व की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि बिना सन्देह के प्रमाणित रही है।

4— श्रीमान् जनपद न्यायाधीश फिरोजाबाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दी गयी गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि 2020-2021 के स्तम्भ 01(बी) के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ कोबिड-19 के होते हुए भी तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में विधि अनुसार न्यायिक कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। इस दौरान न तो बार के किसी सदस्य द्वारा और न ही किसी वादकारी द्वारा मेरे विरुद्ध आवाज उठायी। मेरे न्यायिक कार्य के सम्बन्ध में किसी भी ओर से कोई शिकायत नहीं की गयी है। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वयं स्तम्भ 01(सी) में कहा गया है कि शांत मस्तिष्क से तथा बिना विचलित हुए न्यायिक कार्य किया हूँ। अतः स्पष्ट है कि मेरा आचरण सदा उचित व निष्पक्ष रहा है तथा बार और जनता के बीच व्यवहार हार्दिक रहा है। मेरे आचरण तथा व्यवहार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गयी।

5— स्तम्भ 01(डी) के सम्बन्ध में निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा मेरे प्राइवेट चरित्र की प्रशंसा की गयी है तथा यह भी कहा गया है कि मेरे चरित्र से मेरे कार्यालय और न ही न्यायिक कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

6— स्तम्भ 01(इ) 01(बी) निवेदन करना है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय में उचित रूप से वाद नियत किया जाता रहा है तथा न्यायालय कार्य के दौरान पूर्ण रूप से व्यस्त रहा हूँ। अतः स्पष्ट है कि अधोहस्ताक्षरी माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप न्यायिक कार्य किया है तथा अपने कर्तव्यों का पूर्ण इमानदारी से निर्वहन किया है।

7— स्तम्भ 01(एफ) के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी अपील, रिवीजन में मेरे विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गयी है और न मासिक बैठक में कोई टिप्पणी की गयी है। मेरे द्वारा पत्रावली का सम्पूर्ण अध्ययन के पश्चात तथ्यों को संक्षिप्त करते हुए तथा संकलित साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधि अनुसार आदेश पारित किया जाता रहा है। मेरे द्वारा कभी भी कोई विधि विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया गया।

8— स्तम्भ 01(एच) में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा कहा गया है कि मेरा अपने कार्यालय पर नियन्त्रण की कमी है। जबकि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वयं

30/

स्तम्भ 01(इ) 01(बी) मे कहा गया है कि मेरे द्वारा न्यायालय मे पर्याप्त पत्रावली नियत कर न्यायिक कार्य किया जाता रहा है तथा यह भी निवेदन करना है कि मेरा अपने कार्यालय पर पूर्ण नियन्त्रण रहा है। कभी भी कोई शिकायत मेरे कार्यालय के विरुद्ध नहीं की गयी है और न ही इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण चाहा गया है।

9— स्तम्भ 01(के) मे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय का तथा अपने कार्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण किया है तथा निरीक्षण पूर्ण व प्रभावी रहा है। मेरे कार्यालय के किसी कर्मचारीगण द्वारा मेरे कार्य व व्यवहार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी।

10— स्तम्भ 01(एल) मे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा कहा गया है कि मै न्यायालय मे समय से उपस्थित नहीं रहा हूँ। अतः इस सम्बन्ध मे सादर निवेदन करना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सामान्य नियम—सिविल तथा कोविड—19 के दिशा—निर्देशों तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुलेप समय से डायस पर बैठता था और न्यायिक कार्य करता था। उपस्थिति पंजिका प्रतिदिन समय से माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष जाती थी। कभी भी उपस्थिति रजिस्टर मे अधोहस्ताक्षरी अनुपस्थित नहीं रहा।

11— अधोहस्ताक्षरी की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि 2020—2021 मे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा मेरा पूर्ण मूल्यांकन जो कि औसत दर्शाया गया है, उस सम्बन्ध मे सादर निवेदन करना है कि अधोहस्ताक्षरी हमेशा अपने न्यायिक कार्य के दायित्वों के प्रति ईमानदार तथा सत्यनिष्ठ रहा है। कभी भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधि, आदेशो अथवा निर्देशो का उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरा सत्र 2020—2021 मे वर्कडन (स्तम्भ 01—02) निर्धारित यूनिट से अधिक रहा है। अधोहस्ताक्षरी वर्ष 2015—2016 से इस न्यायिक सेवा मे अवर न्यायालय मे कार्यरत हूँ तथा प्रत्येक वर्ष मेरे कार्यों की सराहना की गयी है और प्रत्येक वर्ष मेरी सत्यनिष्ठा प्रमाणित रही है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय फिरोजाबाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि 2020—2021 मे अंकित की गयी प्रतिकूल / नकारात्मक टिप्पणी को निरस्त करने एवं अधोहस्ताक्षरी की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि संशोधित हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

“सादर”

भवदीय

24/6/2021

(बटेश्वर कुमार)

अपर मुख्य न्यायिक मणिस्टेट्र,
कक्ष संख्या—17, सुलतानपुर।

दिनांक—24.06.2021

OFFICE OF THE
DISTRICT JUDGE, SULTANPUR
No. 1666/184.... Dated, 24-06-2021
FORWARDED.

DISTRICT JUDGE
SULTANPUR
24-06-2021